राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांकः– एफ2(3)लागत/1037 (iv)/178 दिनांक : 24.3.25

–: कार्यालय आदेश :–

संचालक मण्ड़ल की बैठक संख्या 250 दिनांक 28.02.2025 के बिन्दु संख्या 250.29 में लिये गये निर्णयानुसार आवासन मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर वर्ष 2023–24 की अवधि दिनांक 01.01.2024 से 30.06.2024 की संचालक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी कार्यालय आदेश एफ2(3)लागत/1037 (iv)/105 दिनांक 19.01.2024 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्तीय सलाहकार

क्रमांकः– एफ2(3)लागत/1037 (iv)/178 दिनांक : 24/3/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
2– मुख्य अभियन्ता-I/II/मु0)/सचिव, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
3– अति॰मु॰ अभियन्ता, ..., रा॰आ॰म॰, जयपुर/जोधपुर।
4– उप आवासन आयुक्त, वृत्त– ....., रा॰आ॰म॰, ...।
5– संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा॰आ॰म॰, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्ड़ल की वेबसाइट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।
6– आवासीय अभियन्ता, खण्ड़– ....., रा॰आ॰म॰, ...।
7– लेखाधिकारी वृत्त– ....., रा॰आ॰म॰, ...।
8– सम्बन्धित पत्रावली।
9– रक्षित पत्रावली।

उप वित्तीय सलाहकार

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांकः– एफ2(3)लागत/1037 (v)/01856/179 दिनांक :24.3.25

–: कार्यालय आदेश :–

संचालक मण्ड़ल की बैठक संख्या 250 दिनांक 28.02.2025 के बिन्दु संख्या 250.28 में लिये गये निर्णयानुसार आवासन मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर वर्ष 2024–25 की अवधि दिनांक 01.07.2024 से 30.06.2025 की संचालक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी कार्यालय आदेश एफ2(3)लागत/1037 (v)/01856/48 दिनांक 03.07.2024 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्तीय सलाहकार

क्रमांकः– एफ2(3)लागत/1037 (v)/01856/179 दिनांक : 24/3/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
2– मुख्य अभियन्ता-I/II/मु0)/सचिव, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
3– अति॰मु॰ अभियन्ता, ..., रा॰आ॰म॰, जयपुर/जोधपुर।
4– उप आवासन आयुक्त, वृत्त– ....., रा॰आ॰म॰, ...।
5– संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा॰आ॰म॰, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्ड़ल की वेबसाइट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।
6– आवासीय अभियन्ता, खण्ड़– ....., रा॰आ॰म॰, ...।
7– लेखाधिकारी वृत्त– ....., रा॰आ॰म॰, ...।
8– सम्बन्धित पत्रावली।
9– रक्षित पत्रावली।

उप वित्तीय सलाहकार